राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या :– 2694/2016.....जिला.....ज

उनवान – मैसर्स पाटनी स्टील्स प्रा.लि. बापू बाजार, जयपुर बनाम 1. वा.क.अ. विशेष वृत–टप्प्ए जयपुर
2. अपीलीय प्राधिकारी–प्रथम, वा.क.जयपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की में जारी हु
	एकलपीठ **श्री खेमराज, अध्यक्ष**	
13.02.2017	अपीलार्थी की ओर से एस.के. जैन, कर सलाहकार एवं विभाग की ओर उप राजकीय अभिभाषक श्री राम करण सिंह उपस्थित । अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से यह अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र अपीलीय प्राधिकारी–प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे ''अपीलीय अधिकारी''कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.12.2016, जो कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 38(4) के अन्तर्गत पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत–सप्तम, जयपुर (जिसे आगे 'निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा)द्वारा की अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत वर्ष 2010–11 के लिए पारित आदेश दिनांक 11.04.2016 में रू. 3,13,712/– मांग कायम की गई है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त कायम की गई मांग राशि रू. 3,13,712/–को स्थगित करने हेतु स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने अधिनियम की धारा 61(2)(बी) के अन्तर्गत आरोपित शास्ति रू. 1,73,802/– की वसूली को स्थगित रखते हुए रखते हुए शेष मांग राशि रू.1,39,910/– पर रोक लगाने से इंकार करने के आदेश को चुनौती देते हुए उक्त शेष मांग राशि रू 1,39,910/–की वसूली को स्थगित किये जाने का निवेदन किया गया है। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी व्यवहारी स्टील का कारोबार करता है। कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी के वर्ष 2010–11 का मूल कर निर्धारण आदेश दिनांक 24.06.2013 को पारित करते हुए जिन व्यवहारियों के पंजीयन निरस्त किये जा चुके हैं, उन व्यवहारियों से की गई खरीद रू. 21,72,533/– पर आगत कर रू. 86,901/–का क्लेम किया गया है, को स्वीकार नहीं किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी ने खरीद रू. 21,72,533/– पर 4 प्रतिशत से कर रू. 86,901/–आरोपित करते हुए उक्त कर को अदेय मानकर ब्याज रू. 57,355/–आरोपित किया तथा करापवंचन किया जाना मानकर कर की दुगुनी शास्ति आरोपित करते हुए आदेश दिनांक 24.06.2013 पारित किया है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त आदेश में संशोधन करने हेतु अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत संशोधन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर उन्होंने संशोधन प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर संशोधित आदेश दिनांक 11.04.2016 पारित किया। उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवहारी ने अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर उन्होंने अधिनियम की धारा 61 (1)(बी)के अन्तर्गत आरोपित शास्ति रू. 1,73,802/–को स्थगित करते हुए शेष कर रू. 86,901/–एवं ब्याज रू. 57,335/–कुल रू 1,44,256 में से रू 1,39,910/–पर रोक लगाने से इनकार करने के आदेश को चुनौती दी है। अपीलार्थी के स्थगन प्रार्थना पत्र के समर्थन में विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि आलौच्य अवधि के लिये मूल आदेश में स्वीकृत की गई आई.टी.सी. को सशक्त	

अधिकारी द्वारा धारा 33 के तहत आदेश पारित कर बिना किसी आधार/सुनवाई का अवसर प्रदान किये रिवर्स कर, ब्याज एवं शास्ति का आरोपण किया है जो अविधिक है । उनका कथन है कि विक्रेता के द्वारा कर राजकोष में जमा नहीं कराये जाने के आधार पर क्रेता को आई.टी.सी. के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थी द्वारा मैसर्स शंकर स्टील भरतपुर की गई खरीद पर पूर्ण कर चुकाया गया है और लेखा पुस्तकों में संव्यवहारों को दर्ज किया गया है तथा बिक्री प्रपत्रों में घोषित किया गया है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति की वसूली पर रोक लगाते हुए शेष कर रू. 86,901/–एवं ब्याज रू. 57,355/– कुल रू. 1,44,256/– पर स्थगन प्रदान नहीं किया है, जो विधिक नहीं है। उन्होंने कर एवं ब्याज रू 1,44,256/– में से रू 1,39,910/– पर स्थगन प्रदान करने का निवेदन किया है।

राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए रोक लगाने के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों का अवलोकन किया गया । अपीलीय अधिकारी ने विक्रेता व्यवहारी मैसर्स शंकर इण्डस्ट्रीज, भरतपुर का पंजीयन प्रमाण पत्र निरस्त होने के कारण उसके द्वारा देय कर राजकोष में जमा नहीं कराया गया है, इसलिए कर एवं ब्याज की राशि पर स्थगन प्रदान नहीं किया गया है। प्रकरण में आगत कर के सत्यापन का बिन्दु निहित होने से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर,ब्याज एवं शास्ति में से शास्ति पर रोक लगाते हए शेष कर एवं ब्याज पर रोक लगाने से इनकार किया है। प्रकरण के तथ्यों पर विचार करने के पश्चात यह पीठ अपील के गुणावगुण पर विचार किये बिना अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा स्थगन हेतु आवेदित राशि रू. 1,39,910/– के स्थगन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्रं को अस्वीकार करती है। ।

निर्णय सुनाया गया ।

(खेमराज)
अध्यक्ष